न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 30/18 (225)
आरसीएमएस संख्या – 2018/00139

उनवान

1. चरन सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम बहरावली तहसील रूपवास जिला भरतपुर। (मृतक)

1/1. श्रीमती मीना विधवा स्व0 चरन सिंह
1/2. भानूप्रकाश पुत्र चरन सिंह
1/3. संजय उर्फ सन्टू पुत्र चरन सिंह
1/4. अरूण पुत्र चरन सिंह
1/5. नवीन पुत्र चरन सिंह
1/6. श्रीमती नीरज देवी पुत्री चरन सिंह
1/7. श्रीमती सुमन पुत्री चरन सिंह

} जाति कुशवाह निवासी ग्राम बहरावली तह0 रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. शैलेष पुत्र धर्मी जाति कुशवाह निवासी ग्राम अरौदा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. शकुन्तला पुत्री धर्मी पत्नी श्री नत्था सैनी जाति कुशवाह निवासी ग्राम भजेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन दिनांक 13.06.2018 प्रकरण संख्या 75/15 उनवान शैलेष बनाम चरन सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री भूपत कुमार जैन अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री राजेश सोगरवाल अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक :–24.01.2024

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 13.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि चरन सिंह ने तीन शादी की थी। अप्रार्थी अपीलाण्ट की पहली पत्नी हरप्यारी उर्फ शान्ति से संसर्ग से एक पुत्र व एक पुत्री प्रार्थी रैस्पो0 पैदा हुये दूसरी पत्नी भूदेवी के संसर्ग से भानू पैदा हुआ तीसरी पत्नी मीरा से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 पैदा हुये। इस प्रकार अप्रार्थी अपीलाण्ट ने पहली पत्नी की संतान जो कि प्रार्थी रैस्पो0 हैं को घर से निकाल दिया। विवादित आराजी पुश्तैनी संपत्ति

भू प्रब
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

है। जिसमें प्रार्थी रैस्पो0 को जन्म से ही अधिकार हासिल हैं। परन्तु अप्रार्थी अपीलाण्ट उनके हको से इंकार करते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 व तहत पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। रैस्पो0 अरौदा के रहने वाले हैं एवं धर्मी के वारिस हैं एवं अरौदा में धर्मी की विरासत में इनका हिस्सा है एवं अरौदा की वोटर लिस्ट व जमाबन्दी में नाम है। रैस्पो0 ने बिल्कुल फर्जी तरीके से दावा प्रस्तुत किया है। मात्र यह कह देने से की हरप्यारी से चरन सिंह की शादी हुयी थी उन्हें विवादित आराजी में अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत में रखने बाबत् कोई सूचना अपीलाण्ट को नहीं दी। नियमानुसार राजस्व लोक अदालत में निर्णय आपसी सहमति से ही हो सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के बीच कोई समझौता/राजीनामा नहीं हुआ। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1974 पेज 446, 1991 पेज 426, 1996 पेज 28, आरआरटी 2006(1) पेज 623 का उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। चरन सिंह की पहली शादी हरप्यारी उर्फ शान्ती से हुयी थी। शादी के बाद हरप्यारी को छोड दिया तत्पश्चात् अरौदा में दूसरी शादी धर्मी से कर ली। परन्तु शैलेष व शकुंतला दोनों चरन सिंह के नुफ्ते से ही पैदा हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है। जिसमें रैस्पो0 के विवादित आराजी में स्वत्व तय होने हैं। इसलिये विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन जरूरी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई तामील शुदा नोटिस/सम्मन उपलब्ध नहीं है। जिससे साबित हो सके कि प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु पक्षकारो को सूचित किया गया हो। हम यहाँ यह भी उल्लेख करना उचित समझते हैं कि राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिया जाना तो दूर का तथ्य है, अधीनस्थ

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो राजस्व लोक अदालत की भावना के बिल्कुल विपरीत है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के आदेश दिनांक 13.06.2018 निरस्त किये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 24.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)